

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 03/2025

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री नेमिचन्द पुत्र मंगलाराम निवासी
जसोल, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 05.12.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के के घर के पास बने बाड़े का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री नेमिचन्द उपस्थित मिले। मौके पर 5 घरेलु गैस सिलेण्डर भंडारित पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	277570 E	HP	29.7 Kg	15.500 Kg	14.2 Kg
2.	092088 S	HP	30.1 Kg	15.900 Kg	14.2 Kg
3.	262581 S	HP	29.5 Kg	15.300 Kg	14.2 Kg
4.	695162 P	HP	30.0 Kg	15.800 Kg	14.2 Kg
5.	668809 S	HP	29.8 Kg	15.800 Kg	14.2 Kg

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा व्यवसायिक दुरुपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स भटियानीसा एचपी गैस एजेन्सी जसोल, प्रतिनिधि श्री सूर्य प्रताप सिंह को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड

जिला कलक्टर
बालोतरा

- 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिवद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
4. अप्रार्थी स्वयं बावजूद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे ।
5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स भटियानीसा एचपी गैस एजेन्सी जसोल, प्रतिनिधि श्री सूर्य प्रताप सिंह को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री  चन्द)

जिला कलक्टर, बालोतरा